Central Goods & Services Tax Rules, 2017

¹[Rule 46A: Invoice-cum-bill of supply

Notwithstanding anything contained in rule 46 or rule 49 or rule 54, where a registered person is supplying taxable as well as exempted goods or services or both to an unregistered person, a single "invoice-cum-bill of supply" may be issued for all such supplies.]

²[Provided that the said single "invoice-cum-bill of supply" shall contain the particulars as specified under rule 46 or rule 54, as the case may be, and rule 49.]

¹ Rule 46A inserted by Noti. No. 45/2017–Central Tax, dt. 13-10-2017 w.e.f. 13-10-2017.

² Proviso inserted by Noti. No. 26/2022–Central Tax, dt. 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

1[नियम 46क : पूर्ति का बीजक—सह—बिल

नियम 46 या नियम 49 या नियम 54 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी गैररजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय मालों के साथ छूट प्राप्त मालों या सेवाओं की पूर्ति करता है, तो वह ऐसी पूर्तियों के लिए एकल ''पूर्ति का बीजक—सह—बिल'' जारी कर सकेगा।] ²[परंतु उक्त एकल ''प्रदाय का बीजक—सह—बिल'' में नियम 46 या नियम 54, जैसा भी मामला हो, और नियम 49 के अधीन निर्दिष्ट विशिष्टियां शामिल होंगी।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 45/2017—केन्द्रीय कर, दिनांक 13.10.2017 द्वारा नियम 46क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 13.10.2017)।

अधिसूचना क्रमांक 26/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।